कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :– 1984 /15–1, दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 22 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 सं0 49.155 से किमी0 74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईबिड वार्षिक मोड पर कास कर रहे एन0एच0–731ए जिला कौशाम्बी (उ0प्र0) में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफिल्ड हाईवे निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/32/2023/एफ0सी0/450, दिनांक 19–12–2023 एवं आपका पत्रांक 1523/11–सी–FP/UP/ROAD/153349/2022, दिनांक 19.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी ने अपने पत्रांक 1240/5–8, दिनांक 21–12–2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19–12–2023 द्वारा उठायी गयी आपत्ति तद्क्रम में प्रयागराज वन प्रभाग में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण भूमि में overlap प्रदर्शित हो रहा है। जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 2076/15–1, दिनांक 21–12–2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा CA हेतु उक्त वन भूमि जो पूर्व में रेल विकास निगम लिमिटेड को देने के लिये सुरक्षित की गयी थी। किन्तु कालान्तर में उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1482/81–2–2023–800(79)/2019, दिनांक 19–05–2023 के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार रेलवें की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्राविधान लागू न होने के कारण तथा रेल विकास निगम लिमिटेड के पत्र दिनांक 03–08–2023 जिसमें उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, को ध्यान में रखते हुये उक्त वनभूमि को क्षतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु कौशाम्बी वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :– 1984 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कौशाम्बी को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–1, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/12/2023

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

D:\D-Man-2020-21\Land Transfer & petrol pump\Bhumi Hastantaran docx

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

पत्रांक 1240 / 9-8 मंझनपुर, दिनांक 21 दिसम्बर , 2023

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय– राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 संख्या– 49.155 से किमी0 संख्या–14.70 तक (सिगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर कास कर रहे एन0एच0–731ए जिला कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) मे प्रस्तावित 4लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण मे प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति के सम्बन्ध में। **(प्रस्ताव संख्या एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 153349 / 2022)**

संदर्भ– वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1523 / 11–सी एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 153349 / 2022) दिनांक 19.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा उठाई गई अपत्ति मे प्रयागराज मे प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण भूमि मे overlap प्रर्दशित हो रहा है जिसके सम्बन्ध मे प्रभागीय निदेशक, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 2076 / 15–1 दिनांक 21 / 12 / 2023 के द्वारा CA हेतु उक्त वन भूमि उपलब्ध कराने से पूर्व रेल विकास निगम लि0 को CA हेतु देने के लिए सुरक्षित की गयी थी, किन्तु कालान्तर मे उ0प्र0 शासन पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिर्वतन अनुभाग–2 संख्या 1482 / 81–2–2023–800 (79) / 2019, दिनांक 19–05–2023 के कार्यालय ज्ञाप मे दिये गये निर्देशो के अनुसार रेलवे की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्रविधान लागू ना होने के कारण तथा रेल विकास निगम लि0 का पत्र दिनांक 03 / 08 / 2023 जिसमे उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, को ध्यान मे रख कर उक्त भूमि क्षतिपूरक हेतु कौशाम्बी वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गई है तथा उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

संख्या / समदिनांक।

प्रतिलिपि– नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक–2076 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर,21, 2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कौशाम्बी।

विषयः– जनपद–कौशाम्बी अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731A के कि0मी0 49.155 से कि0मी0 74.700 (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) रोड चौड़ीकरण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि (PF land) के बदले दुगने अवनत वन भूमि 30.92 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक–559/5–8 दिनांक–18.09.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1310/15–1, दिनांक–19.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद–कौशाम्बी अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731A के कि0मी0 49.155 से कि0मी0 74.700 तक मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि (PF land) के बदले दुगने अवनत वन भूमि 30.92 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु प्रयागराज वन प्रभाग के मेजा रेंज के कोहडार वन ब्लाक सकल क्षे0 12.2 हे0 के 10 हे0 व कोरांव रेंज बेलहट वन ब्लाक सकल क्षे0 28.00 हे0 के सापेक्ष 20.92 हे0 भूमि का चयन कर उसका GPS Coordinates आपको प्रेषित किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि CA हेतु उक्त वन भूमि आपको उपलब्ध कराने से पूर्व रेल विकास निगम लि0 को CA हेतु देने के लिए सुरक्षित की गयी थी, किन्तु कालान्तर में उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 संख्या– 1482/81–2–2023–800 (79)/2019, दिनांक–19.05.2023 के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार रेलवे की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्राविधान लागू न होने के कारण तथा रेल विकास निगम लि0 का पत्र दिनांक–03.08.2023 जिसमें उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है को ध्यान में रखकर उक्त भूमि CA हेतु आपको उपलब्ध करायी गयी है। अतःउपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।